भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4571
जिसका उत्तर मंगलवार 08 जनवरी, 2019 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन

4571. श्री राकेश सिंह:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने हेतु कोई नीति बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वाहनों की खरीद हेतु कोई राजसहायता प्रदान की जा रही है;

(ग) क्या उक्त राजसहायता हेतु निधि प्रदान करने के लिए अन्य वाहनों से शुल्क वसूलने का कोई प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (घ): जी, हाँ। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी के विनिर्माण को बढ़ावा देने और इसकी सतत् वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भारी उद्योग विभाग ने वर्ष 2015 में एक योजना नामतः फेम-इंडिया योजना [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] तैयार की। इस योजना का चरण-I आरंभ में दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2017 तक दो वर्षों के लिए था, लेकिन इसके बाद इस योजना को दिनांक 31 मार्च, 2019 अथवा फेम-II की अधिसूचना, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना में चार फोकस क्षेत्र नामतः मांग सृजन, प्रायोगिक परियोजना, प्रौद्योगिकी विकास/अनुसंधान एवं विकास और चार्जिंग अवसंरचना हैं।

बल दिए जाने पर मांग सृजन क्षेत्र के तहत, इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों के क्रेता को एक्सईवी की खरीद के समय डीलर द्वारा खरीद मूल्य में निश्चित छूट दी जाती है। एक्सईवी की खरीददारी हेतु उपलब्ध मांग प्रोत्साहन के ब्यौरे समय-समय पर संशोधित योजना की राजपत्र अधिसूचना के अनुबंध 13 में दिए गए हैं, जो भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, इस समिति के अंतर्गत गठित परियोजना कार्यान्वयन एवं मंजूरी समिति द्वारा अनुदान देने के लिए फेम-इंडिया योजना के प्रायोगिक परियोजनाओं, अनुसंधान एवं विकास/प्रौद्योगिकी विकास और चार्जिंग अवसंरचना घटकों के तहत विशिष्ट परियोजनाओं पर विचार किया जाता है।

फेम-इंडिया योजना को भारत सरकार की सकल बजटीय सहायता के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस समय फेम-इंडिया योजना के तहत सब्सिडी का निधियन करने के लिए अन्य वाहनों पर शुल्क लगाने हेतु भारी उद्योग विभाग के विचारार्थ कोई प्रस्ताव नहीं है।

******